

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक — प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33 / 2013

पटना, दिनांक — _____

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: स्पेशल प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रुपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रुपये) की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विमुक्ति की गयी राशि 1329.35 करोड़ रुपये में से 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-425 दिनांक-13.02.2017 के आलोक में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के विद्युत वितरण प्रणाली के एवं वितरण प्रणाली के अवरोधों को दूर करने हेतु फेज-I की 935.27 करोड़ रुपये, फेज-II 2099.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं०-10, उपशीर्ष-0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक)-(एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) की परियोजना विपत्र कोड-P4801051900210 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
15350000000.00	0.00	1000000000.00	1000000000.00	14350000000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या-0352101042466 आइ०एफ०एस०सी० कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013

दिनांक

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)कं० लि०-33/2013

15 दिनांक 12/02/2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।